## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण Insurance Regulatory and Development Authority of India

## प्रेस नोट / Press Note 06.05.2022

## भारत@100 – सबके लिए बीमा India@100 – Insurance for all

बीमा व्यापन में वृद्धि करने और उद्योग की धारणीय वृद्धि को सुसाध्य बनाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सुधारों की एक कार्यसूची निर्धारित करने के लिए बीमा उद्योग के हितधारकों के साथ लगातार संबद्ध रहा है।

श्री देबाशीष पंडा, अध्यक्ष, आईआरडीएआई ने प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्यों के साथ आईआरडीएआई प्रधान कार्यालय, हैदराबाद में 05 और 06 मई 2022 को गैर-जीवन और जीवन बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक की है। यह मुंबई में 06 और 07 अप्रैल 2022 को गैर-जीवन और जीवन बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक करने के बाद संपन्न हुआ है।

परस्पर सक्रिय चर्चा के सत्रों में आईआरडीएआई ने सुधार लागू करने के लिए सुदृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाई जो 2047 तक "सबके लिए बीमा" के लक्ष्य तक मार्ग प्रशस्त करेगी।

इन सुधारों में, अन्य के बीच, नये बीमा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के द्वारा व्यवसाय करने में सुगमता का संवर्धन करना, बीमा में अधिक उपयुक्त खिलाड़ियों को अनुमित देना, मध्यवर्तियों के लिए नवीकरण मानदंडों को शिथिल करना, बीमाकर्ताओं द्वारा उत्पाद प्रमाणीकरण, समयबद्ध अनुमोदन, प्रशासिनक लचीलापन, निवेश प्रस्तावों के लिए त्वरित कार्रवाई अनुमोदन, इंश्योरटेक और वितरण दक्षता को सरल बनाना शामिल हैं।

अतिरिक्त रूप से, जोखिम आधारित पूँजी और शोधक्षमता की आवश्यकता, इंड-एएस के प्रति अभिसरण, प्रबंधन के व्ययों का युक्तिकरण, प्रतिभा समूह का विकास, निवेश मानदंडों का अद्यतनीकरण और उद्योग की धारणीय वृद्धि पर भी विचार-विमर्श किया गया। शिकायत निवारण व्यवस्थाओँ का नवीनीकरण भी आईआरडीएआई की कार्यसूची में है।

बीमा संरक्षण अंतराल का समाधान करने के लिए, सभी हितधारकों की संबद्धता के महत्व पर विशेष बल दिया गया। जीवन बीमा और साधारण बीमा परिषदों की भूमिका और कार्यपद्धित का नवीनीकरण करने का प्रस्ताव किया गया ताकि उन्हें अधिक स्पंदनशील बनाया जा सके। डेटा और प्रौद्योगिकी-नियंत्रित बीमा समाधानों की सहायता करने में भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is continuously engaging with the stakeholders of the insurance industry in order to set out a reforms agenda for increasing insurance penetration and facilitating sustainable growth of the industry.

Shri Debasish Panda, Chairperson, IRDAI, along with Whole-Time Members of the Authority met Non-Executive Chairpersons of Non-Life and Life Insurance Companies on 05th and 06th May 2022 at IRDAI Headquarters, Hyderabad. This comes after the Chairman meeting with the Chief Executive Officers (CEOs) of Non-Life and Life Insurance Companies on 06th and 07th April 2022 at Mumbai.

In the interactive sessions, IRDAI displayed firm commitment to carry out reforms which will lead to the objective of "Insurance for all" by 2047.

These reforms, among others, include promoting ease of doing business by encouraging new insurance players, allowing niche players in insurance, relaxing renewal norms for intermediaries, product certification by insurers, time-bound approvals, administrative flexibility, fast-track approvals for investment proposals, facilitating InsurTech and distribution agility. IRDAI also has plan to make the regulations lighter and reduce the compliance burden on the insurers.

Additionally, the need for risk based capital and solvency, convergence to Ind-AS, rationalizing expenses of management, developing talent pool, updating investment norms and sustainable growth of industry were also deliberated. Revamping of the grievance redressal mechanisms is also on IRDAI's agenda.

To address the insurance protection gap, the importance of engagement of all the stakeholders was highlighted. It was proposed to revamp the role and functioning of the Life Insurance and General Insurance Councils, to make them more vibrant bodies. Role of Insurance Information Bureau of India (IIB) in supporting data and tech-driven insurance solutions was also discussed.